



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 50 राँची, मंगलवार 22 माघ 1935 (श०)  
11 फरवरी, 2014 (ई०)

#### वित्त विभाग

#### अधिसूचना

10 फरवरी, 2014

संख्या-272--भारत का संविधान के अनुच्छेद-283 के खंड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल बिहार सामान्य /विषय निधि नियमावली-1948 जो झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया है में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन करते हैं :-

1. नियम 4 में अंकित "स्थायी पेंशन प्रदायी एवं गैर पेंशन प्रदायी (परिवीक्षाधीन समेत)" के स्थान पर "स्थायी पेंशन प्रदायी (परिवीक्षाधीन समेत)" प्रतिस्थापित किया जाय।
2. नियम 8(1) में अंकित "यथा सं/व शीघ्र" के स्थान पर "सेवा में योगदान देने के तीन माह के अंदर" प्रतिस्थापित किया जाय।
3. नियम 8 में 8(1) के पश्चात कंडिका 8(1)(i) को निम्नवत अंतःस्थापित किया जाय- 8(1)(i) - मनोनयन एवं उसकी पूरी विवरणी अभिदाता के सेवा पुस्त में अंकित की जाएगी एवं इस शर्त को पूरा किये बिना अभिदाता को निधि से निकासी का अधिकार नहीं होगा ।

4. नियम 9 के अंत में यह जोड़ा जाय :- यह लेखा संख्या (/विषय निधि लेखा संख्या) का प्रयोग अभिदाता के परिचय संख्या के रूप में किया जायगा एवं इसका उल्लेख अभिदाता से संबंधित सभी सरकारी अभिलेख एवं पत्राचार में किया जायगा।
5. नियम 11 (1) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाय:- अंशदान, अभिदाता के मासिक परिलब्धि का न्यूनतम 6 प्रतिशत एवं अधिकतम 50 प्रतिशत होगा और यह पूर्ण रुपयों में अभिव्यक्त की जायगी।
6. नियम 14 (5) में अंकित "मुसलमान अभिदाता" के स्थान पर "वैसे अभिदाता" को प्रतिस्थापित किया जाय ।
7. नियम 15 (1) में अंकित "अस्थायी अग्रिम" के स्थान पर "स्थायी अग्रिम" प्रतिस्थापित किया जाय तथा टिप्पणी 3(ग) को विलोपित किया जाय ।
8. नियम 15(1)(क)(vi) में अंकित "बशर्ते कि उक्त शिक्षा-क्रम तीन वर्ष से कम का ना हो" को विलोपित किया जाय।
9. नियम 15 (2) में निम्न कंडिका को अंतः स्थापित किया जाय:-
  - i. ऐसे अभिदाता जिन्होंने नियमित सेवा का 5 वर्ष पूर्ण कर लिया हो उन्हें उनके निधि में जमा राशि का एक तिहाई, स्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा।
  - ii. वैसे अभिदाता जिन्होंने नियमित सेवा का 5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम पूरा किया हो उन्हें उनके निधि में जमा राशि का आधा, स्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा।
  - iii. वैसे अभिदाता जिन्होंने नियमित सेवा के 10 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो उन्हें उनके निधि में जमा राशि का तीन चौथाई, स्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा।
  - iv. सामान्यतया एक वित्तीय वर्ष में एक अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा लेकिन अभिदाता के वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त एवं उचित आधार पर एक से अधिक अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा ।
  - v. राशि की गणना, आवेदन की तिथि के पिछले 31 मार्च को "निधि में संचित राशि" को आधार मानकर की जाएगी ।

10. नियम 15 (3) में अग्रिम स्वीकृति संबंधी प्राधिकार के प्रावधानों को विलोपित करते हुए निम्न प्रावधानों को प्रति स्थापित किया जाय :-
- i. राजपत्रित पदाधिकारियों को स्थायी अग्रिम :- राजपत्रित अभिदाता से स्वअभिप्रमाणित लेखा विवरणी के साथ लिखित आवेदन प्राप्त होने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की स्वीकृति दी जाएगी ।
- ii. अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मियों को स्थायी अग्रिम :- अराजपत्रित अभिदाता से स्वअभिप्रमाणित लेखा विवरणी के साथ लिखित आवेदन प्राप्त होने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की स्वीकृति दी जाएगी ।
11. नियम 15(4) के रूप में निम्न प्रावधान अंतःस्थापित किया जाय :- **स्थायी अग्रिम हेतु आन लाईन आवेदन भी स्वीकार्य होंगे और स्वीकृति में इसे प्राथमिकता दी जाएगी।**
12. नियम 15(5) के रूप में निम्न प्रावधान अंतःस्थापित किया जाय :- अग्रिम स्वीकृति के मामलों में स्वीकृत राशि संबंधित अभिदाता के वेतन वाले बैंक खाते में ही स्थानान्तरित की जा सकेगी।
13. नियम 15(6) के रूप में निम्न प्रावधान अंतःस्थापित किया जाय :- **अभिदाता का बैंक खाता पूर्व से अस्तित्व में एवं नियमित होना चाहिए। संबंधित बैंक खाता जिसमें कम से कम एक वर्ष से नियमित वेतन भुगतान हो रहा हो ।**
14. नियम 15(7) के रूप में निम्न प्रावधान अंतःस्थापित किया जाय :- **मात्र जी०पी०एफ० निकासी की राशि जमा करने हेतु कोई नया बैंक खाता अभिदाता द्वारा नहीं खोला जायगा।**
15. नियम 29(1) के रूप में निम्न प्रावधान अंतःस्थापित किया जाय :- **अभिदाता के सेवा निवृत्ति के तीन माह पूर्व /विष्य निधि में अंशदान रोक दी जायगी तथा अभिदाता उसकी निधि में सूद सहित संचित कुल राशि के प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु अंतिम निकासी आवेदन संबंधित जिला /विष्य निधि कार्यालय/निदेशालय को करेगा ।**
16. नियम 29(2) के रूप में निम्न प्रावधान अंतःस्थापित किया जाय :- **अगर सेवा निवृत्त होने वाले अंशदाता द्वारा कुल राशि के एक मुश्त निकासी का आवेदन समर्पित नहीं किया जाता है तो यह उसके कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि ऐसे कर्मियों के सेवा निवृत्ति के एक माह पूर्व संबंधित /विष्य निधि कार्यालय/निदेशालय को**

अभिदाता की पूर्ण विवरणी प्रेषित करते हुए यह अनुरोध करेंगे कि संबंधित अभिदाता की कुल संचित राशि, (उसके सेवा निवृत्ति की तिथि तक का ) उनके बैंक (वेतन) खाते में स्थानान्तरित कर दी जाय।

17. नियम 31(प)(ख) के स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाय :- अगर मृत अभिदाता के द्वारा परिवार के सदस्य/सदस्यों का मनोनयन, राशि प्राप्ति हेतु नहीं किया गया हो तो वैसी दशा में न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के आधार पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को संचित राशि का भुगतान किया जाएगा ।
18. नियम 37(1) के स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाय :- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अभिदाता Employee Portal के माध्यम से अपने निधि में वर्ष में संचित राशि, निकाली गयी राशि, प्राप्त सूद एवं अन्त शेष राशि देख सकेगा तथा उसका प्रिंट आउट निकाल सकेगा, जो कार्यालय द्वारा निर्गत लेखा पर्ची के ही समतुल्य होगा।
19. नियम 37(2) के स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाय :- प्रत्येक अभिदाता अपने निधि के अन्त शेष की शुद्धता की जाँच कर लेगा और अगर कोई विसंगति नजर आती है तो अन्त शेष के प्रिंट आउट के साथ 6 माह के अंदर संबंधित / भविष्य निधि कार्यालय/निदेशालय के संज्ञान में संशोधन हेतु लाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
अमरेन्द्र प्रताप सिंह,  
सचिव,  
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

-----